संख्या /I/2006-04(8)/58/03

प्रेषक,

एम0एम0 सेमवाल,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0,
देहरादून।

ऊर्जा विभाग,

देहरादूनः दिनांकः 24 अप्रैल, 2006

विषयः— मनेरी भाली स्टेज—II जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु पावर फाइनेन्स कारपोरेशन (पीएफसी) से ऋण के सापेक्ष शासकीय गारन्टी दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 43/UJVNL/Dy.C.A.O.(P-F&A), दिनांक 20.01.2006 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मनेरी भाली स्टेज—II जल विद्युत परियोजना की लागत रु0 1249 करोड़ से बढ़कर रु0 1714 करोड़ हो जाने के फलस्वरूप उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 को रु0 400 करोड़ का ऋण पावर फाइनेन्स कारपोरेशन (पीएफसी) से लेने के निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा शासकीय गारन्टी दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते हैं:—

1— उत्तर प्रदेश शासन वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—4 के शासनादेश सं0 बी—4—1094/दस—2000—10(28)/94, दिनांक 15 सितम्बर, 2000, जो कि उत्तरांचल में भी प्रभावी है, के अनुसार दी जा रही शासकीय गारन्टी की धनराशि पर 1% की दर से गारन्टी शुल्क उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 द्वारा गारन्टी दिए जाने के माह में ही राजकोष में जमा करा दी जायेगी एवं प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में राजकोष में जमा करायी जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 515/XXVII(1)/2006, दिनांक 21 अप्रैल, 2006 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव

संख्याः 599(1) /I/2006-04(8)/58/03, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल।
2— प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु ।
3— निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4— पावर फाईनेन्स कारपोरेशन लि0, नई दिल्ली।
5— वित्त अनुभाग—1, उत्तरांचल शासन।
6— प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
7— ऊर्जा सैल, उत्तरांचल शासन।
8— गार्ड फाईल।

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव